राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली
दिल्ली आपदा प्रबंधन प्राधिकरण

सं. एफ/02/07/2020/एस.1/44 दिनांकः 13.04.2020

आदेश

जबकि, दिल्ली आपदा प्रबंधन प्राधिकरण (डीडीएमए) संतुष्ट है कि राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली कोविड–19 महामारी के संक्रमण के कारण चिंतित है जिसे विश्व स्वास्थ्य संगठन द्वारा पहले ही वैश्विक महामारी घोषित किया जा चुका है और राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली में इस संक्रमण को रोकने के लिए प्रभावी कदम उठाए जाने पर विचार किया गया है।

और जबकि, भारत सरकार ने ''कोविड–19'' की महामारी को रोकने के लिए 25 मार्च, 2020 से 14 अप्रैल, 2020 तक राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सहित पूरे भारत में लॉकडाउन किए जाने के लिए अधिसूचना जारी की है।

और जबकि, दिल्ली आपदा प्रबंधन प्राधिकरण द्वारा परिस्थिति से निबटने के लिए समस्त अपेक्षित उपाय अपनाने कि लिए सर्वसंबंधित प्राधिकारियों को समय–समय पर विभिन्न आदेश/निदेश दिए जा रहे हैंय

और जबकि, केंद्रीय गृह सचिव, भारत सरकार ने अपने अ.स. पत्र सं. 40–3/2020 डीएमए–I (ए), दिनांक 12.04.2020 में अपनी चिंता व्यक्त की है कि देश के कुछ भागों में, विशेषकर लॉकडाउन के उपायों पर दिशा–निर्देश और स्पष्टीकरणों का सही तरीके और भावना से क्रियान्वयन नहीं किया जा रहा है।

(i) अनिवार्य और गैर–अनिवार्य सामान को ले जा रहे ट्रकों को रोका जा रहा है।

(ii) अनिवार्य सामान तथा अन्य छूट प्राप्त श्रेणियों की विनिर्माण इकाइयों के कार्यों के लिए कामगारों की आवश्यकता है, जिन्हें मूवमेंट के लिए प्राधिकारध्पास नहीं दिए जा रहे हैं।

(iii) उपर्युक्त (i) एवं (ii)मदों वाले सामान और व्यक्तिगत श्रेणियों से संबंधित इंटर–स्टेट मूवमेंट को प्रतिबंधित किया जा रहा है, कियोंकि एक राज्यध्संघ शासित क्षेत्र द्वारा जारी पासों/प्राधिकार पत्रों को अन्य राज्यों/संघ शासित क्षेत्रों द्वारा माना नहीं जा रहा है; और

(iv) कोल्ड स्टोरेज और वेयरहाउसों के कामकाज को अनुमति नहीं दी जा रही है।

और जबकि, गृह मंत्रालय द्वारा विशेष तौर पर दी गई अनुमति के मामलों में उपर्युक्त प्रतिबंध लगाए जा रहे हैं, इससे अनिवार्य वस्तुओं की कमी उत्पन्न होने की संभावना है. क्रियान्वयन के स्तर पर स्पष्टीकरण लाने की दृष्टि से, प्राधिकरणों द्वारा विभिन्न स्तरों पर कड़े अनुपालन हेतु निम्नलिखित निदेशों को दोहराया जाता है :

(i) सभी ट्रकों और अन्य मालवाहक वाहनों की अंतर्राज्यीय और अंतः–राज्यीय मूवमेंट एक चालक तथा एक अन्य व्यक्ति के साथ अनुमत की जा सकती है, जबकि चालक के पास वैध ड्राइविंग लाइसेंस हो. यह कार्गो की प्रकृति को ध्यान में नहीं रखा जाएगा, कि सामान अनिवार्य है अथवा गैर–अनिवार्य अथवा अन्यथा कुछ. इसके बाद किसी और परमिट अथवा अनुमोदन की आवश्यकता नहीं होगी।

(ii) खाली ट्रक/माल वाहनों को सामान उठाने के लिए जाने अथवा डिलीवरी के बाद वापस लौटने की अनुमति नहीं होगी. अतः, खाली ट्रकों को रोके जाने का कोई कारण नहीं है बशर्ते उनके पास वैध दस्तावेज, जैसे ड्राइविंग लाइसेंस एवं रोड परमिट आदि हों।

(iii) स्थानीय प्राधिकरणों को सक्रिय तौर पर ट्रक चालकों तथा क्लीनरों को उनके निवास स्थान से ट्रक रके जाने के स्थान तक मूवमेंट की सुविधा देनी चाहिए।

(iv) स्थानीय प्राधिकरणों को समस्त अनुमति प्राप्त उद्योगों।वाणिज्यिक गतिविधियों वाले कामगारों को उनके कार्यस्थल पर जाने तथा आने की सुविधा देनी चाहिए।

(v) रेलवे, हवाइअड्डे, बंदरगाह और कस्टम प्राधिकरणों को पहले ही अपने स्टाफ और संविदात्मक श्रमिकों को पास जारी करने के लिए अधिकृत किया जा चुका है। इसे सुनिश्चित किया जाए।

(vi) जिन विनिर्माण श्रेणियों को अनुमति प्रदान की गई है उनके कामगारों को पास जारी करने के संबंध में, यह सुझाव है कि कंपनियों/संगठनों द्वारा प्राधिकार के आधार पर शीघ्र पास जारी ि कए जाएं. फील्ड प्राधिकरण सुनिश्चित करें कि इन पासों को दिल्ली के भीतर मूवमेंट के लिए मान्यता दी जाती हो।

(vii) अनिवार्य वस्तुओं जैसे गेहूं का आटा, दालें और खाद्य तेलों के विनिर्माण कार्यों में लगी एमएसएमई को बिना किसी बाधा के निर्बाध कार्य करने की अनुमति दी जानी चाहिए।

(vii) वेयर हाउसों/कोल्ड स्टोरेज को निर्बाध कार्य करने की अनुमति दी जानी चाहिए तथा उनके ट्रकों को यह विचार के बिना आने–जाने की अनुमति दी जानी चाहे कि उनमें ले जाया जा रहा सामान अनिवार्य, गैर–अनिवार्य अथवा है. कंपनियों के वेयरहाउसों को काम करने की अनुमति दी जानी चाहिए।

अतः, अब, आपदा प्रबंधन अधिनियम, 2005 के अनुच्छेद 22 के तहत निहित शक्तियों का अनुपालन करते हुए, राज्य कार्यकारी समिति, राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार के अध्यक्ष के रूप में अधोहस्ताक्षरी द्वारा एतद् द्वारा निदेश दिए जाते हैं कि इन निर्धारित निदेशों को स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय, भारत सरकार के दिशा–निर्देशों के अनुसार संक्रमण, क्वारंटीन और निगरानी वाले (हॉटस्पॉट) उपायों के लिए अपेक्षित क्षेत्रों से अन्य क्षेत्रों में लागू किया जाएगा, जहां पहले से ही प्रतिबंध लगाए गए हैं ताकि उन क्षेत्रों में कोविड–19 के संक्रमण को रोका जा सके. ,थ हीय यह भी स्पष्ट किया जाता है कि, जैसा ऊपर उल्लेख किया गया है, व्यक्तियों और वाहनों की आवाजाही को स्वास्थ्य और सोशल डिस्टेंसिंग के नियमों का कड़ाई से पालन किया जाएगा, जैसा कोविड–19 के संदर्भ में अपेक्षित है।

स्पेशल पुलिस आयुक्त (यातायात), स्पेशल पुलिस आयुक्त (कानून एवं व्यवस्था), नार्थ, स्पेशल पुलिस आयुक्त (कानून एवं व्यवस्था), साउथ, दिल्ली पुलिस, समस्त जिलाधिकारी और उनके समकक्ष जिला उपायुक्त पुलिस को निदेश दिए जाते हैं कि वे उपरोक्त निदेशों का अनुपालन सुनिश्चित करें, ताकि जमीनी स्तर कोई भ्रामक स्थिति पैदा न हो और गृह मंत्रालय द्वारा जिन कार्यों की अनुमति प्रदान की गई है, वे निर्बाध रूप से हो सकें.

(विजय देव)
मुख्य सचिव, दिल्ली

सेवा में,

1. विशेष सीपी (यातायात), दिल्ली पुलिस।
2. विशेष सीपी (न्याय एवं आदेश) उत्तर।
3. विशेष सीपी (न्याय एवं आदेश),दक्षिण।
4. समस्त जिला मजिस्ट्रेट।
5. समस्त जिला उपायुक्त पुलिस।

प्रतिलिपि निम्न को सूचनार्थ :–

1. प्रधान सचिव, उपराज्यपाल, दिल्ली।
2. अपर सचिव, माननीय मुख्यमंत्री, दिल्ली।
3. सचिव, माननीय परिवहन मंत्री, दिल्ली।
4. अपर मुख्य सचिव (गृह), दिल्ली।
5. उपायुक्त पुलिस, दिल्ली।
6. प्रधान सचिव (राजस्व)–सह–मंडलीय आयुक्त, दिल्ली।
7. अध्यक्ष, दिल्ली नगर पालिका परिषद्।
8. आयुक्त (दक्षिण दिल्ली नगर निगम/पूर्व दिल्ली नगर निगम/उत्तर दिल्ली नगर निगम)।
9. सचिव (स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण), दिल्ली।
10. निदेशक, सूचना एवं प्रचार निदेशालय को व्यापक प्रचार हेतु।
11. एसआईओ, एनआईसी को दिल्ली सरकार की वेबसाईट पर अपलोड करने हेतु।